<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>16/10/2025</u>

चित्रदुर्ग जिले के विधायक के सी वीरेंद्र उर्फ पप्पी की पत्नी सुश्री आर डी चैत्रा ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईडी, बे.आ.का. द्वारा के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को अवैध, मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने के लिए कई आधारों पर याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने 15.10.2025 के आदेश के तहत ईडी, बीजीजेडओ द्वारा के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।

ईडी ने अवैध ऑनलाइन/ऑफलाइन सट्टेबाजी और जुए के जरिए धोखाधड़ी से जुड़ी कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। के सी वीरेंद्र और उनके सहयोगियों ने फोनपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जैसे पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म (जैसे किंग567) संचालित किए। भारत, श्रीलंका, नेपाल और दुबई में फर्जी कंपनियों और कैसीनो के जरिए फंड ट्रांसफर किए गए और अनुमानित अपराध की आय (पीओसी) कई करोड़ रुपये है। ईडी की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि के सी वीरेंद्र सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क का सरगना है, जो आय को लूटने के लिए परिवार द्वारा संचालित संस्थाओं और विदेशी कैसीनो का इस्तेमाल करता है। इसके बाद, कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर, के सी वीरेंद्र को ईडी ने 23.08.2025 को गंगटोक, सिक्किम से गिरफ्तार किया अब तक 150 करोड़ रुपये का पीओसी प्राप्त हो चुका है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि के.सी. वीरेंद्र के खिलाफ अधिकांश एफआईआर बंद कर दी गई थीं या उनमें समझौता कर लिया गया था; केवल एफआईआर संख्या 218/2022 ही लंबित रह गई थी और यह एफआईआर भी 30,000 रुपये के विवाद से संबंधित थी, जिसे एक दीवानी मामले के रूप में माना गया और 'बी' रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दायर की गई। के.सी. वीरेंद्र के खिलाफ फोनपैसा या सट्टेबाजी से जुड़े कोई प्रत्यक्ष आरोप या संबंध नहीं लगाए गए थे, इसलिए यह गिरफ्तारी अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और पीएमएलए की धारा 19 के तहत उचित प्रक्रिया का उल्लंघन थी।

ईडी की ओर से पेश हुए कर्नाटक के विद्वान एएसजी ने जोरदार ढंग से तर्क दिया था कि 30,000 रुपये की शिकायत तो बस एक छोटी सी झलक मात्र है; जबकि ईडी की जाँच में एक बड़े सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। पीएमएलए की धारा 19 के तहत उनकी गिरफ्तारी के लिए "विश्वास करने का कारण" बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी और धन के लेन-देन का पता लगाने और विदेशी संबंधों की पहचान करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी। यह भी तर्क दिया गया कि हालाँकि शिकायत केवल 30,000 रुपये की राशि से संबंधित है, पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(यू) के अनुसार पीओसी में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या अर्जित संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई हो। उक्त आधार पर, यह तर्क दिया गया कि पीओसी वर्तमान एफआईआर में उल्लिखित से अधिक हो सकती है। यह तर्क दिया गया कि वर्तमान साइबर धोखाधड़ी मामले में, आमतौर पर बहुत कम व्यक्तियों द्वारा शिकायत दी जाती है, जिनके साथ धोखाधड़ी की जाती है और एफआईआर संख्या 218/2022 ऐसा ही एक उदाहरण है और इसकी जांच से प्रतिवादी को परिष्कृत आपराधिक गतिविधि के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है जिसमें कई व्यक्तियों को लुभाने और उन्हें धोखा देने और पीओसी प्राप्त करने की बात शामिल है, जो पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक अपराध है।

माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि पीएमएलए के तहत पूर्व शर्त को पूरा करने वाला एक पूर्वनिर्धारित अपराध मौजूद था क्योंकि पीएमएलए के तहत कार्यवाही तब तक जारी रह सकती है जब तक कि 'बी' रिपोर्ट न्यायिक रूप से स्वीकार नहीं कर ली जाती। ऐसे अनुसूचित अपराध से उत्पन्न पीओसी के अस्तित्व के संबंध में, ईडी द्वारा अनुसूचित अपराध से कहीं अधिक पीओसी के संबंध में दिए गए निवेदनों और विश्वास करने के कारणों और गिरफ्तारी के आधारों के प्रासंगिक अंशों के अवलोकन पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने के सी वीरेंद्र से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी के औचित्य को उचित पाया, क्योंकि उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि के सी वीरेंद्र कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप

चलाने, सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से लोगों को धोखा देने और पीओसी प्राप्त करने में शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री है जो यह मानने के लिए पर्याप्त कारण देती है कि याचिकाकर्ता का पति पीएमएलए, 2002 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। तदनुसार, उक्त रिट याचिका को जमानत दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया।

केस में आगे की जाँच जारी है।